

बिहार सरकार
गृह (कारा) विभाग

अधिसूचना

संख्या.....⁵³⁵⁰/ कारा अधिनियम, 1894 (एक्ट IX 1894) की धारा 59 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, बिहार राज्य में "बिहार कारा हस्तक-2012" ("Bihar Prison Manual-2012") (यथा संलग्न) को एतद् द्वारा आज दिनांक 12.12.2012 के प्रभाव से प्रवृत्त करती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
W. Prasad
12/12/12
(लक्ष्मी प्रसाद चौहान)
संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र०),
बिहार, पटना।

संख्या.....⁵³⁵⁰/कारा, इस पाठ का अंग्रेजी में निम्नलिखित संवाद, बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में दूसरा अधिकृत पाठ समझा जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
W. Prasad
12/12/12
संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र०),
बिहार, पटना।

Notification

Number.....⁵³⁵⁰/ Jail, In exercise of the powers conferred by section -59 of the Prison Act, 1894 (Act IX of 1894), the Government of Bihar, do hereby enforce the "Bihar Prison Manual-2012" (Copy enclosed) from today on 12-12-2012 in the State of Bihar.

By the Order of Governor of Bihar

W. Prasad
12/12/12
Joint Secretary-cum-Director (Admin.)
Bihar, Patna

ज्ञापांक-कारा/नि०को० (क)-30/08 (खण्ड-1).....⁵³⁵⁰
प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ (सी०डी० सहित) प्रेषित।

W. Prasad
12/12/12
संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र०),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-कारा/नि0को0 (क)-30/08 (खण्ड-1).....⁵³⁵⁰ पटना, दिनांक-12/12/2012
 प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र0),
 बिहार, पटना।

ज्ञापांक-कारा/नि0को0 (क)-30/08 (खण्ड-1).....⁵³⁵⁰ पटना, दिनांक-12/12/2012
 प्रतिलिपि- कारा महानिरीक्षक, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, गृह विभाग के प्रधान आप्त सचिव/गृह (कारा) विभाग के सभी पदाधिकारियों/कर्मचारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र0),
 बिहार, पटना।

ज्ञापांक-कारा/नि0को0 (क)-30/08 (खण्ड-1).....⁵³⁵⁰ पटना, दिनांक-12/12/2012
 प्रतिलिपि-सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/सभी पुलिस अधीक्षक/सभी काराधीक्षक/सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र0),
 बिहार, पटना।